

राजस्थान सरकार  
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : F 21 ( ) DH /NHM/ budget Ghosana/onion/2022-23/

दिनांक:

उप निदेशक उद्यान- जोधपुर

सहायक निदेशक उद्यान- नागौर, बीकानेर, सीकर

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दू संख्या 149 (पार्ट) " आगामी 2 वर्षों के दौरान 5 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए 44 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा, की क्रियान्विति के कम में कृषक श्रेणीवार भौतिक वित्तीय लक्ष्य आवंटन ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दू संख्या 149 (पार्ट) " आगामी 2 वर्षों के दौरान 5 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए 44 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा, की क्रियान्विति हेतु कृषक श्रेणीवार भौतिक वित्तीय लक्ष्यों का जिलेवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है:-

कार्यक्रम	इकाई	जिला	आंवटित लक्ष्य							
			भौतिक				वित्तीय (राशि लाख रु)			
			Gen	Tsp	Scp	Total	Gen	Tsp	Scp	Total
Low Cost Onion Storage (25 MT.)		नागौर	522	20	160	702	456.75	17.50	140.00	614.25
		जोधपुर	100	50	8	158	87.50	43.75	7.00	138.25
		सीकर	150	50	18	218	131.25	43.75	15.75	190.75
		बीकानेर	90	24	8	122	78.75	21.00	7.00	106.75
योग			862	144	194	1200	754.25	126.00	169.75	1050.00

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत प्रावधित राशि का व्यय राज्य बजट मद से किया जाना है तथा जिलों को आंवटित कुल लक्ष्य में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु/सीमान्त श्रेणी कृषकों को लभान्वित किया जायेगा।

कम लागत प्याज भण्डारण कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2022-23 के दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे। दिशा-निर्देशों की प्रति सभी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों तथा विभाग के समस्त सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अतः उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि प्याज भण्डारण कार्यक्रम के आंवटित लक्ष्यों अनुसार स्वीकृति जारी कर शत प्रतिशत प्रगति से आयुक्तालय को अवगत करावें।

(चेतन देवड़ा)  
आयुक्त उद्यानिकी,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 14-06-2

क्रमांक : F 21 ( ) DH /NHM/ budget Ghosana/onion/2022-23/ 135-1367  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन, सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी.....।
5. संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-1), शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड, जोधपुर
7. उप निदेशक उद्यान, खण्ड, सीकर/बीकानेर।
8. उप निदेशक उद्यान (सांख्यिकी), उद्यान आयुक्तालय, जयपुर को लक्ष्य विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राम लाल मीणा)  
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)  
राजस्थान जयपुर